Credible Chhattisgarh
विश्वसनीय छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल मुख्यालय शंकर नगर रायपुर

www.cghb.gov.in

!! संपदा प्रबंधन !!

परिपत्र

क्रमांक.....777...../2015 दिनांक 22/12/2015

विषयः- छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के निर्मित/निर्माणाधीन रिक्त भवनों के विक्रय करने समाचार पत्रों होर्डिंग/रेडियों/एक्सपो/न्यूज चैनल के माध्यम से प्रचार-प्रसार।

--000--

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल द्वारा वृहद स्तर पर प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर आवासीय एवं व्यवसायिक संपत्ति का निर्माण किया गया है। संपत्ति के विक्रय/आबंटन हेतु सतत् प्रयास किये जा रहे है। वर्तमान में लगभग 16000 भवन के लगभग मूल्य रु.2000.00 करोड़ की संपत्ति अविक्रित है। अविक्रित संपत्ति के कारण मण्डल की दीर्घ निधी अवरुद्ध हो गयी है जिससे निधी तरलता पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। इस संपत्ति के विक्रय होने से मण्डल की निधी तरलता सुदृढ़ हो सकती है तथा मण्डल के द्वारा बैंक से लिए गये ऋण रु.90.00 करोड़ का पुर्नभुगतान किया जाना भी संभव होगा। वर्तमान में इस ऋण के भुगतान का अतिरिक्त दायित्व भी है। इस स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री कर्मचारी आवास योजना अंतर्गत चिन्हित योजनाओं शासकीय/अर्द्धशासकीय कर्मचारियों/संस्थाओं को भवन के मूल्य पर 10 प्रतिशत की छूट दी जा रही है।

अविक्रित संपत्ति के विक्रय हेतु प्रचार-प्रचार कार्यवाही मण्डल द्वारा निम्नानुसार की जा रही है :-

1. **विविध 20 समाचार पत्रों** में माह सितम्बर 2015 से नवम्बर 2015 तक प्रचार-प्रसार किया जा रहा है जिसमें अविक्रित संपत्ति के विक्रय हेतु जैसे-मुख्यमंत्री कर्मचारी आवास योजनाओं में शासकीय/अर्द्धशासकीय कर्मचारियों/संस्थाओं को भवन के मूल्य पर 10 प्रतिशत की छूट, प्रथम आओ-प्रथम पाओ, प्रधानमंत्री आवास योजना, भाड़ाक्रय योजना के दाण्डिक ब्याज में 50 प्रतिशत छूट, स्ववित्तीय योजना के भवनों के मूल्य की किश्त राशि विलंब से जमा करने पर भारित ब्याज राशि पर छूट आदि का प्रचार-प्रसार की कार्यवाही छत्तीसगढ़ संवाद द्वारा अनुमोदित दर पर की जा रही है जिसका वेयक अपेक्षित है।
2. **होर्डिंग के माध्यम** से विनायक एर्डवटाईजर द्वारा दिनांक 31.10.2015 से 19.12.2015 (2माह) तक राशि रु.1181040+सर्विस टैक्स, व्यापक इन्टरप्राईजेस् द्वारा दिनांक 23.10.2015 से दिनांक 21.12.2015 (2माह) तक राशि रु.1000490+सर्विस टैक्स तथा ए.एस.एस.एर्डवटाईजर द्वारा दिनांक 13.11.2015 से दिनांक 12.12.2015 (1माह) तक राशि रु.570570+सर्विस टैक्स, छत्तीसगढ़ संवाद द्वारा अनुमोदित दर पर कुल व्यय रु.2752100+सर्विस टैक्स हुआ है, जिनके भुगतान हेतु वेयक प्राप्त हुए है।

E:\F\Rup\CEO\All Files 2015\Adesh.docx- 87 -

क्रमशः-02

3. **रेडियो My FM 94.3 के माध्यम** से दिनांक 12.10.2015 से दिनांक 10.12.2015 तक (2माह) रायपुर के लिए राशि रु.187500+सर्विस टैक्स एवं बिलासपुर के लिए दिनांक 19.10.2015 से दिनांक 18.12.2015 (2माह) तक राशि रु.187500+सर्विस टैक्स एवं **95 FM Tadka** (प्रयास एर्डवटाईजरस्) माध्यम से दिनांक 13.10.2015 से दिनांक 15.12.2015 (2माह) तक रायपुर के लिए राशि रु.432000+सर्विस टैक्स, छत्तीसगढ़ संवाद द्वारा अनुमोदित दर पर कुल व्यय रु.807000+सर्विस टैक्स हुआ है, जिनके भुगतान हेतु देयक प्राप्त हुए है।
4. **आई.बी.सी.टू.फोर न्यूज चैनल** जिसमें मुख्यमंत्री कर्मचारी आवास योजना, प्रथम आओ-प्रथम पाओ, प्रधानमंत्री आवास योजना का प्रसारण छत्तीसगढ़ संवाद द्वारा अनुमोदित दर पर राशि रु.131328+सर्विस टैक्स एवं स्वराज एक्सप्रेस न्यूज चैनल पर मुख्यमंत्री कर्मचारी आवास योजना, प्रथम आओ-प्रथम पाओ प्रसारण 44 दिन के लिए रु.85606+सर्विस टैक्स छत्तीसगढ़ संवाद द्वारा अनुमोदित दर पर कुल व्यय रु.216934+सर्विस टैक्स हुआ है, जिनके भुगतान हेतु देयक प्राप्त हुए है।
5. **एक्सपो द्वारा कन्सोल ग्रुप** की ओर से (तीन एक्सपो)-(दिनांक 8,9,10 मई 2015 को) मेग्नेटोमॉल में प्रसारण राशि रु.2.00 लाख, (दिनांक 27,28 जून 2015) अंबूजा मॉल में प्रसारण राशि रु.1.00 लाख एवं (दिनांक 16,17,18 अक्टूबर 2015) आउटडोर स्टेडियम में प्रसारण राशि रु.1.50 लाख तथा (दिनांक 7,8,9 अगस्त 2015) दैनिक भास्कर की ओर से इन्डोर स्टेडियम प्रसारण राशि रु.4.00 लाख इन प्रसारण कार्यवाही हेतु छत्तीसगढ़ संवाद द्वारा दर अनुमोदित नही है। कुल रु.850000.00 के देयक भुगतान हेतु प्राप्त हुए है।

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के 49वें मण्डल सम्मिलन दिनांक 11.12.2015 की पद संख्या-15 संकल्प क्रमांक 1356-15/49/12/2015 द्वारा उक्त विवरण का अवलोकन किया गया। विवरण से मण्डल अवगत हुआ। तद्संबंध में कोई कार्यवाही अपेक्षित नही है।

22/12

आयुक्त
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
रायपुर

क्रमशः-03

Credible Chhattisgarh
विश्वसनीय छत्तीसगढ़

पृ.क्र.2854/आ.आ./स.प्र.शा./मुख्या/फा.नं.- /15 रायपुर, दिनांक 22/12/2015

प्रतिलिपिः-

1. स्टॉफ ऑफिसर मान. अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
2. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग, महानदी भवन, मंत्रालय नया रायपुर तथा सदस्य, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, रायपुर।
3. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ व्यवसायिक परीक्षा मण्डल, रायपुर तथा सदस्य, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, रायपुर।
4. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त/आवास एवं पर्यावरण विभाग, महानदी भवन, मंत्रालय नया रायपुर तथा सदस्य, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, रायपुर।
5. निज सचिव, आयुक्त महोदय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर तथा सदस्य, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, रायपुर।
6. आयुक्त सह-संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, रायपुर तथा सदस्य, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, रायपुर।
7. क्षेत्रीय प्रमुख, हडको, रायपुर तथा सदस्य, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, रायपुर।
8. प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, रायपुर तथा सदस्य, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, रायपुर।
9. अपर आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
10. मुख्य लेखा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
11. मुख्य संपदा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
12. उपायुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय, रायपुर।
13. उपायुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, वृत्त-रायपुर/दुर्ग/बिलासपुर।
14. प्रशासकीय अधिकारी छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
15. संपदा अधिकारी/लेखा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
16. संपदा अधिकारी, संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-01/02/03,रायपुर /दुर्ग/जगदलपुर/बिलासपुर/रायगढ़/कोण्डागांव/अंबिकापुर/कोरबा की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
17. कार्यपालन अभियंता, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल संभाग-1,2,3,4 रायपुर/राज.परि. संभाग-1,2,रायपुर/संभाग-दुर्ग/परियोजना.संभाग-दुर्ग/राजनांदगांव/कोरबा/रायगढ़/बिलासपुर/जगदलपुर/अंबिकापुर/कोण्डागांव/विद्युत संभाग-01,02,03 रायपुर।
18. आई.टी.शाखा, छत्तीगसढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
19. आदेश नस्ती/गार्ड फाईल।

22/12

आयुक्त

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल

रायपुर

E:\F\Rup\CEO\All Files 2015\Adesh.docx- 89 -